

## उत्तरांचल शासन

### वित्त अनुभाग-5

#### अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2003 ई0

सं0 548/वि0अनु-5/स्टाम्प (42/स्टाम्प/02)/2003-उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये, श्री राज्यपाल शस्त्र व्यवसायियों के लिए निर्धारित लाइसेन्स के नवीनीकरण पर प्रमार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,  
अपर सचिव।

NOTIFICATION

December 05, 2003

**No. 548/Vitt.Anu-5/Stamp & Regn. (42/Stamp/02)/2003**--In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Article 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899), as amended from time to time in its application to Uttaranchal, the Governor is pleased to remit with Immediate effect the stamp duty chargeable by the State Government of Uttaranchal, on Renewal of Licence by Arms dealers.

By Order,

L. M. PANT,  
Apar Sachiv.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 13-12-2003, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 67 वित्त/516-22-12-2003-50 (कम्प्यूटर/रीजियो)।